न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 13/2019 (GCMS No. 2019/00013) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. किशन पुत्र श्रीफल जाति गुर्जर निवासी राडोली तहसील करौली जिला करौली।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का सेंगरपुरा

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय जिला कलक्टर करौली दिनांक 22.10.2019 मुकदमा नं. 49/19 एवं तहसीलदार करौली दिनांक 26.06.2019 प्रकरण संख्या 10/19 सरकार बनाम किशनसिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य   दिनांक : 15.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 22.10.2019 एवं तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 26.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी रकवे पर कब्जा नहीं किया है। अपीलान्ट अपनी आराजी पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा देने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावंजों को अवलोकन किये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट के सम्मन की की अपीलान्ट को व्यक्तिगत तामील नहीं हुई। न्यायालय तहसीलदार करौली में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं मिला। हर दो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना आदेश 22.10.2019 एवं 26.06.2019 पारित किये गये हैं जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा देने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया। पत्रावली में संलग्न अपीलान्ट के सम्मन से स्पष्ट है कि सम्मन अपीलान्ट को व्यक्तिगत तमील नहीं हुई बल्कि उसके नाबालिग पुत्र को हुई जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में है। कानूनी प्रावधानों के तहत तामील अपीलान्ट पर स्वयं होनी चाहिए थी। इस पर तहसीलदार करौली के न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं मिला। तहसीलदार करौली ने आज्ञा पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान तक नहीं लिये और तामील के लिए निर्धारित तारीख पर बहस सुनकर फैसला कर दिया। इस प्रकार पहली तारीख पर ही गैरहाजिर मानते हुये बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया गया। कानूनी प्रावधनों के तहत पटवारी हल्का का बयान लेना आवश्यक था परन्तु पटवारी हल्का के वयान भी नहीं लिये गये। न्यायालय जिला कलक्टर ने भी इस तथ्य पर गौर किये बिना आज्ञा पारित कर दी। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी रकबे पर कब्जा नहीं किया है। अपीलान्ट का मकान गॉव के अन्य लोगों के साथ आबादी के लिए निर्धारित स्थान पर ही बना हुआ है और न अपीलान्ट ने किसी भी सिवायचक रकबे पर खेती की है। अपीलान्ट अपनी आराजी पर काबिज है। अपीलान्ट के विरूद्ध उससे पूर्व कभी भी अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की गई। पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। न्यायालय जिला कलक्टर ने भी इस तथ्य पर गौर किये बिना आज्ञा पारित की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा हर दो अदालत निरस्त किये जावें।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। तामील वैधानिक रूप से उसके पुत्र को प्राप्त हुई है। उक्त तामील पर्याप्त है। अपीलान्ट को पता चल गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का यह तर्क है कि अपीलार्थी के जारी नोटिस की तामील उनके नाबालिग पुत्र को हुई जिससे उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। अपीलान्ट द्वारा न तो अपील न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि उसके द्वारा वांके ग्राम सैंगरपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 1627 किस्म गैर मुमकिन चारागाह पर अतिक्रमण न किया हुआ है। अथवा अपील न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में अपील पेश करने से पूर्व अतिक्रमण हटा लिया गया हो। जबकि अपील न्यायालय में उसको सुनवाई का पूरा मौका दिया था। केवल नाबालिग की तामील से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अतः न्यायालय के मत में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 एवं दिनांक 26.06.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15-06-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर